न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 98/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी प्रिती अग्रवाल
पंजीकृत कार्यालयः–टॉवर, डब्ल्यू.टी.सी. कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई महाराष्ट्र 400005
शाखा कार्यालयः–डी–24 दुर्लभ निवास, प्रथ्वीराज रोड़, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान 302001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र भगूता राम मीणा** वार्ड संख्या 11, ढ़ाणी चोलाया, फुटाला मुंडरू, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान 332712
2. **भगूता राम मीणा पुत्र घीसा राम मीणा** वार्ड संख्या 11, ढ़ाणी चोलाया, फुटाला मुंडरू, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान 332712
3. **रामलाल यादव पुत्र बद्री प्रसाद** 119, जोशी वाली ढ़ाणी फुटाला श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान 332712

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 18 मई, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मंयक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 3 क्रमशः **राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र भगूता राम मीणा, भगूता राम मीणा पुत्र घीसा राम मीणा व रामलाल यादव पुत्र बद्री प्रसाद** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की **अचल औद्योगिक सम्पत्ति खसरा संख्या 5206/1171 सरकारी स्कूल के पास, चोलाई रोड़, ग्राम फुटाला, मूण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान 332712** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर** है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹15,00,000/–रूपये (अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **22.12.2022** के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **22.12.2022** को धारा 13(2) के रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 3 क्रमशः **राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र भगूता राम**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मीणा, भगूता राम मीणा पुत्र घीसा राम मीणा व रामलाल यादव पुत्र बद्री प्रसाद की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की **अचल औद्योगिक सम्पत्ति खसरा संख्या 5206/1171 सरकारी स्कूल के पास, चोलाई रोड़, ग्राम फुटाला, मूण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान 332712** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर** है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **18 मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर